न्यायालय–अवर न्यायाधीश, बनमनखी (पूर्णियाँ)

T.S-28/2020

दिनांक–02.03.2021

वादी की हाजरी सह आदेश–6 नियम–17 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया। अभिलेख स्वीकृति के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंबित है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को उक्त आवेदन पर सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी अपने वाद–पत्र के Schedule (A) एवं (B) मे अंकित मौजा–मतैली खेमचन थाना न0–284 खाता सं0–76 मे खेसरा सं0–1218 / 1425 तथा 1218 / 1426 के स्थान पर क्रमशः खेसरा सं0–1218 / 1435 एवं खेसरा सं0–1218 / 1436 दर्ज कराना चाहते है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि टाईपिस्ट के गलती के कारण गलत खेसरा संख्या वाद–पत्र के Schedule में अंकित हो गया। वादी द्वारा खेसरा सं0–1218 / 1435 तथा 1218 / 1436 से संबंधित दस्तावेज भी न्यायालय में दाखिल किये है। वादी के द्वारा दाखिल यह संशोधन आवेदन औपचारिक प्रकृति के है तथा वाद–पत्र मे उक्त संशोधन करने से वाद की प्रकृति मे कोई परिवर्तन नही होगा।

अतः न्यायहित मे वादी के आज के दिनांक–02.03.2021 के आवेदन को स्वीकार करते हुए वादी को निर्देश दिया जाता है कि समय सीमा के अंदर वाद–पत्र में संशोधन करे।

दिनांक–25.03.2021 वास्ते स्वीकृति के बिन्दु पर सुनवाई हेतु।

2/3/2021

अवर न्यायाधीश,

बनमनखी।

Scanned with CamScanner